

प्रारूप-6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री सुरजाराम, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, श्री धनश्यामदास पूषाराम ईन्नाणी राउमावि रोल, नागौर जिनकी जन्म तिथि:- 20.06.1960 ने दिनांक 28.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.03.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री सुरजाराम, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, श्री धनश्यामदास पूषाराम ईन्नाणी राउमावि रोल, नागौर, को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.03.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित सुरजाराम के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई व्यापिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/21
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिप्त -

दिनांक-18/03/2020

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को डैबसाईट पर अपलोड हेतु
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्या श्री धनश्यामदास पूषाराम ईन्नाणी राउमावि रोल, नागौर
7. श्री सुरजाराम, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, श्री धनश्यामदास पूषाराम ईन्नाणी राउमावि रोल, नागौर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री भागीरथ मल बुनकर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 02.07.1960 ने दिनांक 07.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री भागीरथ मल बुनकर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.04.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित भागीरथ मल बुनकर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/20
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक- 18/03/2020

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर
7. श्री भागीरथ मल बुनकर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर